पत्रांक : वित्त–20 / विविध–09 / 2016...2972 / वि०

झारखण्ड सरकार

योजना– सह–वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

प्रेषक,

के॰ के॰ खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक...14/11/19

विषय : **विभागान्तर्गत संचालित बैंक खातों का अविलम्ब Reconciliation कराने एवं अन्य कार्रवाई करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि हाल के वर्षों में विभागान्तर्गत संचालित विभिन्न बैंक खातों में संधारित सरकारी राशि से संबंधित कई मामले प्रकाश में आये हैं जहाँ सरकारी बैंक खाते से करोड़ों रूपये की राशि का अंतरण योजनाबद्ध तरीके से फर्जी चेक एवं अन्य माध्यम से विभिन्न अनाधिकृत बैंक खातों में किया गया है। ऐसे मामलों में कई लोगों के संलिप्त होने एवं सरकारी राशि का गबन कर लिये जाने की पूर्ण सम्भावना है। सम्प्रति सरकारी राशि का योजनाबद्ध तरीके से गबन कर लिया जाना इस तथ्य को इंगित करता है कि विभागों / कार्यालयों द्वारा संबंधित बैंक खातों का reconciliation नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है।

सरकारी बैंक खातों की राशि के संधारण के संबंध में वित्त विभाग के द्वारा पत्रांक 1899 दिनांक 16.07.2019, पत्रांक 996 दिनांक 03.05.2018 पत्रांक 3245 दिनांक 07.10.2017, पत्रांक 2721 दिनांक 15.09.2016, पत्रांक 1475 दिनांक 14.05.2010 तथा पत्रांक 3887 दिनांक 01.12.2009 एवं अन्य के माध्यम से समय–समय पर दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं। विभागीय पत्रांक 2918 दिनांक 06.11.2019 के द्वारा भी सभी उपायुक्तों को सरकारी कार्यालयों में संचालित बैंक खातों का अविलम्ब Reconciliation करने हेतु विस्तृत दिशानिदेश दिया गया है। अतः उक्त को संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विभागीय स्तर से भी अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों को बैंक खाते का Reconciliation कराना एवं दिए गए दिशानिदेशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित कराया जाय एवं कृत कार्रवाई का एक समेकित प्रतिवेदन दिनांक 20.11.2019 तक योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त विभाग) को उपलब्ध कराया जाय। बैंक खातों की बड़ी

राशि के Transaction का Reconciliation निश्चित रूप से दिनांक 20.11.2019 तक पूर्ण हो जाय एवं उसका प्रतिवेदन वित्त विभाग को प्राप्त हो जाय।

साथ ही जिस राज्य योजना मद की राशि की आवश्यकता नहीं है, उसे राजकोष में जमा कराया जाय। सरकारी राशि का गबन करने के मामले में संबंधित के विरूद्ध अविलम्ब कठोर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ सेवा से बर्खास्त करने की दिशा में कार्रवाई की जाय एवं वित्त विभाग को भी कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाय।

अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण विषय के संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 20.11.2019 तक Reconciliation कराकर एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाय।

मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 19.11.2019, 20.11.2019, 26.11.2019, 27.11.2019, 28.11.2019, 29.11.2019, 02.12.2019, 03.12.2019, 04.12.2019 एवं 05.12.2019 को विभिन्न विभागों के साथ प्रस्तावित बैठक में इस विषय की भी समीक्षा की जायेगी।

अनु० : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

13/11/19

(के० के० खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव।